

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)  
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान.....खनाकिया डला.....

दिनांक :- 12/06/23

-:: आदेश ::-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खनाकिया डला व भू-अभिलेख निरीक्षक सिद्धपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खनाकिया डला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमावन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमावन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 60 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>खनाकिया डला</u>	<u>60</u>	<u>नारायण डरुड पुर मोहन</u> <u>हिस्सा 5/12 जाति - 112</u> <u>सा-डेह खालेदा</u>	<u>नारायणलाल डरुड पुर</u> <u>मोहन हिस्सा 5/12 जाति</u> <u>जाई सा-डेह खालेदा</u>

(AA)

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़  
दिनांक :- 12/06/23

क्रमांक/सा.स. (2023) 235  
प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, कपासन को भजे कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी-श्री खनाकिया डला को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(AA)

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़